

27

Office of the District Magistrate, Bareilly

Ref. No 700/S.T

Dated 26-09-2024

To,


The Registrar General,
Hon'ble National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi- 110001

Sub: Regarding submission of Response on behalf of respondents No. 3 (District Magistrate Bareilly) in compliance of order dated 10.7.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal Principle Bench, New Delhi in OA No. 745/2024 Siyaram Mandal V/s Eldico Company and Others.

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. in compliance of order dated 10.07.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal Principle Bench, New Delhi in OA No. 745/2024 Siyaram Mandal V/s Eldico Company and Others. Response on behalf of respondents No. 3 (District Magistrate Bareilly) is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

Enclosures: As above

Sincerely Yours,

26.9.24
District Magistrate
Bareilly

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
AT DELHI PRINCIPAL BENCH
ORIGINAL APPLICATION NO. 745/2024**

IN THE MATTER OF:

SIYARAM MANDAL

.... APPLICANT

VS

ELDICO COMPANY & ORS.


.... RESPONDENT

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Response of District Magistrate, Bareilly (Respondent No. 03) in compliance with the order dated 10.07.2024 passed by this Hon'ble Tribunal.	1-4
2.	True copy of Minutes of meeting held dated 02.09.2024 for compliance of order passed by Hon'ble NGT in O.A. No. 745/2024 is annexed herewith as <u>Annexure-1</u>	5
3.	True copy of Committee Inspection Report dated 10.09.2024 constituted by District Magistrate for compliance of order passed by Hon'ble NGT in O.A. No. 745/2024 is annexed herewith as <u>Annexure-2</u> .	6-7
4.	True copy of FIR lodged by the Lekhpal against Shri Sandeep Chawla, Vice President of Eldico Company is annexed herewith as <u>Annexure-3</u> .	8-15
5.	True copy of Suspension Order of Concerning Lekhpal annexed herewith as <u>Annexure-4</u> .	16-17
6.	True copy of the proposal of Eldico Company for exchange of the aforesaid Jheel with its private land dated 20.09.2024 is annexed herewith as <u>Annexure - 5</u> .	18

THROUGH

Date: .09.2024



.....
Advocate

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
AT DELHI PRINCIPAL BENCH
ORIGINAL APPLICATION NO. 745/2024


IN THE MATTER OF:

SIYARAM MANDAL

VS
ELDICO COMPANY & ORS.

VS

RESPONDENT



RESPONSE OF RESPONDENT NO.-3, District Magistrate, Bareilly IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 10.07.2024 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

I, Ravindra Kumar aged about 42... years, posted as District Magistrate, Bareilly, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

"1....That the present response is being filed before this Hon'ble Tribunal in compliance of the directions passed by this Hon'ble Tribunal vide order dated 10.07.2024 as under:


"...2. *The letter petition raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms and implementation of the provisions of scheduled enactment.*

Hence, we implead following as respondents in the matter:-

(i) Uttar Pradesh Pollution Control Board, through its Member Secretary

(ii) Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Regional Office (CZ), Lucknow.

4204
26/9/2024




- (iii) District Magistrate, Bareilly
- (iv) Developer of Eldico Company through its Administrative Head
(the details of Respondent No. 4 will be provided by the
Respondent No. 3 and the Respondent No. 4 will be served
through the Respondent No. 3)

4. Issue notice to the Respondents for filing the response atleast one week before the next date of hearing."

Response

1 The order dated 10.07.2024 passed by Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in O.A. No. 745/2024 Siyaram Mandal vs. Eldico Company and others was received at District Level by Regional Officer, UP Pollution Control Board, Bareilly on 27.08.2024. In compliance to order dated 10.07.2024, a meeting was held on 02.09.2024 under the chairmanship of the undersigned. Minutes of the meeting is annexed as Annexure-1) and instructions were given that the following committee would conduct a field inspection and submit a report:-



1. Additional District Magistrate (F/R), Bareilly, representative of District Magistrate Bareilly.
2. Sub-District Magistrate, Sadar, Bareilly.
3. Regional Forest Officer, Forest Department/Uttar Pradesh State Wetland Authority, Bareilly.
4. Assistant Engineer, Bareilly Development Authority, Bareilly.
5. Assistant Scientific Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Bareilly.

The aforesaid committee conducted a field inspection on 10.09.2024. At the time of inspection, Mr. Sandeep Chawla, Vice President, Eldico Enfrabuild Ltd was present on the spot.


[Handwritten signature]

According to the report submitted by the aforesaid committee, Gata No. 508, area 0.126 hectare is currently recorded as jheel in the Revenue Records, which is surrounded by a temporary boundary wall constructed by Eldico Infrabuild Ltd. Some amount of construction and demolition waste was also found dumped in the jheel. The said jheel is neither part of map of Eldico Township approved by Bareilly Development Authority, nor it is listed in the list of wetland of Bareilly. (The report of Committee is annexed as Annexure-2)




During the inspection, representative of Eldico Infrabuild Limited Mr. Sandeep Chawla, Vice President, was verbally suggested by ADM (F/R) on the spot to submit a proposal as soon as possible for the exchange of the land of the aforesaid Jheel, so that the Jheel could be shifted outside the aforesaid boundary wall, but Mr. Sandeep Chawla did not submit any proposal even after one week inspite of several verbal reminder by Additional District Magistrate (F/R), Bareilly.

2. Thereafter, the Lekhpal of the concerned area, Mohd. Bilal, who is the Member Secretary of the Land Management Committee and is responsible for the take care of the land of the Gram Sabha falling in his area, was directed on date 20.09.2024, to lodge FIR against the local representative of Eldico Infrabuild Limited. Mohd. Bilal, Lekhpal, lodged FIR against Mr. Sandeep Chawla, Vice President of



Eldico Infrabuild Limited. (The copy of lodged FIR is annexed as Annexure-3)

- 3. The Lekhpal did not include all the facts in the FIR. It appeared that the Lekhpal did this deliberately despite being aware of all the facts, So he was suspended with immediate effect. (The copy of suspension order is annexed as Annexure-4)
- 4. Immediately after the lodging of FIR Mr. Sandeep Chawla, Vice President, Eldico Infrabuild Limited submitted a proposal dated 20.09.2024 to exchange the aforesaid Jheel with his private land so that the lake could be shifted outside the boundary wall for public use. The proposal is under process as per the guidelines of the State Government. (The copy of the proposal is annexed as Annexure-5)



[Signature]
26.9.24

DEPONENT

VERIFICATION:-

Verified at Bhuj..... on this 26-9-2024 day of September, 2024 that the contents of the above Affidavit are true and correct to the best of my knowledge and based on the official records of the Respondent. No part of it is false and nothing material has been concealed there from.

Certified that Shri Ravindra Kumar
 Identified by Shri [Signature]
 Confirmed the Contents of the affidavit in my presence
 at Bhuj Dated 26-9-2024
 understood contents

[Signature]
26.9.24

DEPONENT

[Signature]
Tulsi Ram
Advocate & Notary Bhuj


26.9.2024

जिलाधिकारी महोदय, बरेली की अध्यक्षता में मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं० - "745/2024 सियाराम मण्डल बनाम एलडिको कम्पनी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.07.2024 के अनुपालन में आहूत बैठक दिनांक 02.09.2024 का कार्यवृत्त-

जिलाधिकारी महोदय द्वारा आहूत उपरोक्त बैठक दिनांक 02.09.2024 में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हुये-

1. श्री संतोष बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), बरेली।
2. श्री योगेन्द्र कुमार, सचिव, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।
3. श्री सुनील कुमार, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली।
4. श्री कमल कुमार, उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।
5. श्री मनीष कुमार, जिला खान अधिकारी, खनन विभाग, बरेली।
6. श्री सुनील सिंह चौहान, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।


उपरोक्त बैठक दिनांक 02.09.2024 में जिलाधिकारी महोदय, बरेली द्वारा मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं० - "745/2024 सियाराम मण्डल बनाम एलडिको कम्पनी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.07.2024 के अनुपालन हेतु सम्बन्धित विभाग यथा बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली, राज्य विभाग, बरेली, यू०पी० स्टेट वेटलैण्ड एथॉरिटी के उपस्थित सदस्यों से मैसर्स एलडिको कं० द्वारा ग्राम-विलवा तहसील एवं जिला-बरेली में विकसित किये जा रहे टाउनशिप में स्थित प्रश्नगत वॉटरवाडी की मौकें पर जांच कर अभिलेख एवं आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी महोदय, बरेली द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि भ्रमण के दौरान यदि समिति द्वारा यह पाया जाता है कि प्रश्नगत वॉटरवाडी/झील, चारों तरफ से अधिग्रहण कर लेने के कारण अधिग्रहित भूमि के बीच में चला गया है, तो मैसर्स एलडिको कं० द्वारा विनिमय (Exchange) के आधार पर तालाब को अन्यत्र विकसित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अवगत कराया जाये।


03/09/24
(संतोष बहादुर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
बरेली।

प्रतिलिपि- 585/OA-745 /2024

दिनांक- 04/09/24

1. जिलाधिकारी महोदय, बरेली को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. समिति के समस्त सदस्यगण के अनुपालनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
o/c बरेली।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दायर O.A No. 745/2024 सियाराम मण्डल बनाम् एल्डिको कम्पनी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.07.2024 के अन्तर्गत गठित समिति की जांच आख्या :-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा O.A No. 745/2024 सियाराम मण्डल बनाम् एल्डिको कम्पनी एवं अन्य में दिनांक 10.07.2024 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया है :-

"1.... The complaint of the applicant is that Gata No. 508 of village Bilwa Pargana, Tehsil and District Bareilly is registered as a lake but the land mafia has illegally captured the lake and they are in the process of developing Eldico colony on that lake. Along with the letter, applicant has enclosed the reports by the revenue authorities clearly mentioning that the land admeasuring 0.1260 hectare, Gata No. 508, Khata No. 00309 (1428-1433F) category 6-1 is a water body which has been recorded as a lake. Though the reports enclosed with the letter states that there is no construction on the lake but this aspect has been disputed in the letter petition...."

2. The letter petition raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms and implementation of the provisions of scheduled enactment.

3. Hence, we implead following as respondents in the matter:-

(i) Uttar Pradesh Pollution Control Board, through its Member Secretary

(ii) Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Regional Office (CZ), Lucknow

(iii) District Magistrate, Bareilly

(iv) Developer of Eldico Company through its Administrative Head (the details of Respondent No. 4 will be provided by the Respondent No. 3 and the Respondent No. 4 will be served through the Respondent No. 3)..."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 10.07.2024 के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट बरेली द्वारा निम्न सम्बन्धित विभागों की समिति बनाकर स्थलीय निरीक्षण करने एवं संयुक्त निरीक्षण आख्या प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गये -

- 1- राजस्व विभाग के प्रतिनिधि।
- 2- सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के प्रतिनिधि।
- 3- उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।
- 4- बरेली विकास प्राधिकरण बरेली के प्रतिनिधि।

उक्त आदेश के अनुपालन में समिति की बैठक की गई एवं बैठक के दौरान लिए गये निर्णय के अनुसार दिनांक 10.09.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, स्थलीय निरीक्षण की संयुक्त जांच आख्या निम्नवत् है :-

परियोजना का विवरण :-

परियोजना स्थल ग्राम बिलवा के खसरा संख्या-476पी, 477पी, 501पी, 502, 503पी, 504, 505, 506, 507, 509, 512पी एवं 513पी एवं ग्राम दोहना प्रीतम राय के खसरा संख्या 438, 439,440, 441 तथा ग्राम पिपरिया(घंघोरा) का खसरा संख्या-898 तहसील सदर जनपद बरेली में प्रस्तावित है।




स्थलीय निरीक्षण एवं परीक्षण :-

1- उप जिलाधिकारी, सदर, बरेली द्वारा संयुक्त समिति को अवगत कराया गया कि ग्राम बिलवा के खतौनी के खाता संख्या 0030 के गाटा नं० 508, जिसका क्षेत्रफल 0.126 हे० है, वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में झील के रूप में अंकित है, जोकि एल्टिको कम्पनी द्वारा अस्थाई रूप से बनाई गयी बाउन्ड्रीवाल से घिरा हुआ है। झील में कुछ मात्रा में मकान आदि से जनित गलवा, गिट्टी (Construction and demolation waste) पड़ा हुआ पाया गया। निरीक्षण के समय यह भी पाया गया कि गाटा संख्या 508/0.126 हे० झील एल्टिको कम्पनी के वर्तमान स्वीकृत मानचित्र की सीमा के ठीक पास स्थित है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार गाटा संख्या 508 कुल क्षेत्रफल 0.1260 जोकि झील के रूप में अंकित है। राजस्व विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि गाटा संख्या 508/0.1260 हे० झील तक पहुँचने के लिए कोई मार्ग/चकरोड नहीं है, उक्त के सम्बन्ध में राजस्व विभाग से प्राप्त आख्या की छायाप्रति संलग्नक- 01 पर संलग्न है।

स्थलीय निरीक्षण के समय एल्टिको कम्पनी के प्रतिनिधि श्री संदीप चावला, Vice President का मौखिक रूप से उक्त झील की भूमि का विनिमय कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने का सुझाव दिया गया, जिससे झील को चहार दीवारी से बाहर स्थानांतरित किया जा सके।

2- उप जिलाधिकारी, सदर, बरेली द्वारा समिति को यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त झील के आस-पास की भूमि भी एल्टिको कम्पनी द्वारा अधिग्रहित की गई है। झील के आस-पास की भूमि का गाटा संख्या 500, 503, 507 एवं 509 है, जोकि राजस्व अभिलेखों में श्रेणी-1(क) संक्रमणीय भूमि स्वामित्व के नाम से अंकित है।

3- बरेली विकास प्राधिकरण बरेली के सदस्य द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि उक्त झील अर्थात् गाटा सं० 508 बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में स्वीकृत मानचित्र में सम्मिलित नहीं है एवं गाटा सं० 508 की भूमि वर्तमान में विकसित हो रही एल्टिको टाउनशिप के स्वीकृत मानचित्र का भाग नहीं है। बरेली विकास प्राधिकरण बरेली का पत्र एवं मानचित्र की छायाप्रति संलग्नक-02 पर संलग्न है।

4- उप राज्य बैटलैण्ड प्राधिकरण, बरेली के सदस्य द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि उक्त झील एल्टिको टाउनशिप द्वारा विकसित टाउनशिप की सीमा के बाहर स्थित है। झील बहुत छोटी है, जो कि जनपद बरेली की बैटलैण्ड सूची के अन्तर्गत सूचीबद्ध नहीं है। पत्र की छायाप्रति (संलग्नक- 03)

(सुनील सिंह चौहान)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी
उप जिलाधिकारी बोर्ड
बरेली।

(वैभव चौधरी)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
वन विभाग, बरेली।

(अनिल कुमार)
सहायक अभियन्ता
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली।

(गोविन्द प्रिय)
उप जिलाधिकारी
सदर, बरेली।

(संतोष बहादुर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
बरेली।

N.C.R.B (एन.सी.आर.वी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): बरेली

P.S. (थाना): भोजीपुरा

Year (वर्ष): 2024

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0645

Date & Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 20/09/2024 17:35

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	2
2	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day
(दिन):

Date From
(दिनांक से):

Date To
(दिनांक तक):

Time Period
(समय अवधि):

Time From
(समय से):

Time To
(समय तक):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date 20/09/2024 Time (समय): 17:28 वजे
(दिनांक):

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. 080 Date & Time 20/09/2024 17:28 वजे
(प्रविष्टि सं.): (दिनांक और समय):

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित.

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

Direction and distance from P.S. दक्षिण, 8 Beat No.
1. (a) (थाना से दूरी और दिशा): किमी (बीट सं.):
(b) Address एल्डिको सिटी
(पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. District(State)
(थाना का नाम): (ज़िला (राज्य)):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): मो0 विलाल लेखपाल

(b) Father's Name (पिता का नाम): स्व0 गुलाम नवी

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1986

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार) Id Number (पहचान संख्या)

1

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	ग्राम जगत, बदायूं, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	ग्राम जगत, बदायूं, उत्तर प्रदेश, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8171329530

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	संदीप चावला उप प्रबंधक एलडिको सिटी		पिता का नाम : नामालुम	1. एलडिको गिट्टी बिल्वा बर, भोजीपुरा, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
-----------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. UIDB Number

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष थाना भोजीपुरा(बरेली) विषय प्रथम सूचना आख्या दिये जाने के सम्बन्ध में महोदय अवगत कराना है कि ग्राम बिल्वा थाना भोजीपुरा तहसील व जिला बरेली की गाटा स0 508 क्षे0 0.126 हे0 जो राजस्व अभिलेखों में झील के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की शासकीय भूमि है जिस पर संदीप चावला उप प्रबंधक एलडिको सिटी नि0 एलडिको सिटी बिल्वा बरेली द्वारा मलवा व गिट्टी डालकर प्रदूषित करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार उक्त व्यक्तियों द्वारा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974 व लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। SD अपठित 20/9/24 MOHD BILAL LEKPAL BILWA (Bareilly) 8171329530 मो0 विलाल (लेखपाल) पुत्र स्व0 गुलाम नबी नि0 ग्राम जगत जिला(वंदायू) (243601) नोट- मैं हे0का0 358 घनश्यामपाल प्रमाणित करता हूँ कि प्रार्थना पत्र की नकल मेरे द्वारा बोल बोल कर शब्द शब्द कम्प्यूटर पर का0 3395 अंकित हूण द्वारा टाईप कराया गया।

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or
(या)

(2) Directed (Name of I.O.) Sandesh Singh
(जांच अधिकारी का नाम):

Rank
(पद):

SI (Sub-Inspector)

No. 972662914
(सं.):

to take up the Investigation
(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.
(थाना):

District
(ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

N.C.R.B (एन.सी.आर.वी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

14 Signature/Thumb Impression of the
complainant / informant. (शिकायतकर्ता /
सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge
Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name SHO BHOJIPURA

Rank I (Inspector)

No. 9454403083

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

Attachment to item 7 of First Information Report
(प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:
(If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :
(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms.) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark (s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7

Deformities/ Peculiarities	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language
/Dialect
(भाषा/बोली)

Place Of (का स्थान)

Others (अन्य)

Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoder ma (लुकोदेर्मा (सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)		
14	15	16	17	18	19	20

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)

कार्यालय उप जिलाधिकारी सदर, वरेली।

पत्रांक: 340 /रा10गि0(कार्या0):2024

दिनांक: 20.09.2024

आदेश

मो0 विलास, लेखपाल
क्षेत्र- विलवा
तहसील सदर, वरेली।

शिकायतकर्ता श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री सेवारांम निवारी ग्राम अदलखिया तहसील व जिला वरेली द्वारा अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय हरित अधिकरण फरीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग नई दिल्ली को सम्बोधित प्रार्थना पत्र में शिकायत की गई। जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा उल्लिखित किया गया कि "राजस्व अभिलेखों में दर्ज झील स्थित ग्राम विलवा तहसील व जिला वरेली की भूमि गाटा संख्या 508 क्षेत्रफल 0.1260हे0 खाता संख्या 00309 श्रेणी-6-1 (तालाव) है, जिस पर एल्टिडको कम्पनी द्वारा एल्टिडको सिटी विकसित किये जाने के सम्बंध में दिया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत उल्लिखित किया गया है कि गाटा संख्या 508 झील दर्ज है जिस पर एल्टिडको सिटी द्वारा इसके चारों ओर कब्जा करके चाहरदीवारी बनाकर झील के अस्तित्व को समाप्त कर दिया है।"

उक्त प्रकरण की जानकारी क्षेत्रीय लेखपाल होने के नाते आपको पूर्व से ही थी एवं उक्त शिकायत के सम्बंध में आप सभी तथ्यों से (यथा सरकारी तालाव की भूमि को घेर कर एल्टिडको द्वारा गाउंड्रीवाल कर लिया है) अवगत भी थे।

आ.एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण का संज्ञान लेकर जिला प्रशासन को प्रकरण में जाँच कराने के निर्देश दिये गये जिसके अनुपालन में जिला प्रशासन द्वारा गठित संयुक्त समिति से जाँच कराई गई। समिति द्वारा प्रकरण की संयुक्त रूप से स्थलीय एवं अभिलेखीय जाँच की गई। स्थलीय एवं अभिलेखीय जाँच में प्रश्नगत झील का क्षेत्रफल एल्टिडको की चाहरदीवारी के अन्दर पाया गया। चूकि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण में उक्त प्रकरण में अग्रिम तिथि 03.10.2024 नियत है जिसके दृष्टिगत समिति द्वारा एल्टिडको कम्पनी को बार-बार उक्त झील के रकबे को उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 एवं शासनादेश संख्या-आर-798/5-43ए/2020 राजस्व परिषद, अनुभाग-5 दिनांक 10.09.2021 (ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबंधन में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन/विनियम के सम्बंध में) के अन्तर्गत विनियमितकरण कराने हेतु कहा गया, परन्तु एल्टिडको द्वारा विनियमितीकरण का प्रस्ताव दिनांक 20.09.2024 तक प्रस्तुत नहीं किया गया। एल्टिडको द्वारा अनुपालन न किये जाने के कारण समिति द्वारा अंतिम बार निर्देशित किये जाने के बाद उक्त एल्टिडको कम्पनी के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज करायी गयी।

आपको प्रकरण से सम्बंधित विस्तृत जानकारी होने के बावजूद भी मात्र सरसरी तौर पर अधूरे तथ्य देकर थाना भोजीपुरा में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी। अतः इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आपके द्वारा प्रकरण में दुरभि संधि कर तथ्यों को छुपाकर एफ0आई0आर0 करवायी गयी है जिससे एल्टिडको कम्पनी पर कोई अनावश्यक उत्पीड़न कार्यवाही न हो सके।


अतः उपरोक्त लापरवाही के दृष्टिगत आपको उक्त कृत्य हेतु तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। पुष्टि हेतु निम्नलिखित साक्ष्य पढा जायेगा।

1. आपके द्वारा प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट।
2. एफ0आई0आर0 की प्रति।

निलम्बन अवधि में आपको वित्तीय हरत पुस्तिका खण्ड-2, भाग 2 रो 4 के मूल नियम 53 के प्रावधानों के अनुसार जीवन निर्वाहन भत्ते की धनराशि अर्द्ध औसत वेतन पर अथवा अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा। यदि पूर्व वेतन के साथ उन्हें मंहगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते का उपात्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन की दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिभर भत्ते निलम्बन की अवधि से इस शर्त पर


देय होंगे कि जय इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा इस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है। जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।

निलम्वन की अवधि में गो० विलास लेखपाल, को तहसीलदार कार्यालय से सम्यद्ध किया जाता है, और इस प्रकरण में जांच अधिकारी नायब तहसीलदार चौबारी, सदर बरेली को नामित किया जाता है, तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में विस्तृत आरोप पत्र तैयार कर 15 दिन के अन्दर अधोहरस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।


(गोविन्द शर्मा)
उप जिलाधिकारी, सदर,
बरेली।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अपर जिलाधिकारी (प्र०) महोदय/भूलेखाधिकारी, बरेली।
03. नायब तहसीलदार चौबारी, तहसील सदर, बरेली आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04. राजस्व निरीक्षक विलवा को इस निर्देश के साथ कि एक प्रति प्राप्त कराकर तामीला प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।


उप जिलाधिकारी सदर,
बरेली।